

डॉ० बी० राजेन्दर, समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,

राजस्व संग्रहण पत्र की साप्ताहिक बैठक

संग्रहण

5 बैठक

दि - 2004 ~~से 2005~~

जिला - कैमूर

004

श्री सुरेन्द्रकुमार सिन्हा, बि० प्र० से०,
अपर समाहर्ता, कैमूर (भभुआ)।

डॉ० बी० राजेन्दर, भा० प्र० से०,
समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

विषय सूची

क्र०	विषय	पृष्ठ सं०
1	2	3
1	बैठक के संदर्भ में सामान्य निर्देश	1-2
2	वाणिज्यकर	3-6
3	उत्पाद एवं मद्य निषेध	7
4	निबंधन	8
5	नगरपंचायत	9
6	कृषि उत्पादन बाजार समिति	10
7	परिवहन	11-12
8	खनन	13
9	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल	14
10	विद्युत	15
11	लघु सिंचाई	16
12	राष्ट्रीय बचत	17
13	राजकीय नलकूप	18
14	कृषि विभाग	19
15	वन विभाग	20
16	माप तौल	21
17	सहकारिता	22
18	भूमि विकास बैंक	22
19	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	23
19	जिला निलाम	24

Handwritten signature

क्र०	विभाग	दिथे गए निदेश	उत्तरदायी पदाधिकारी	अनुपालन की तिथि
1	वाणिज्यकर, विभाग	1. सहायक आयुक्त विक्री कर ने बताया कि विभाग द्वारा 734 लाख राजस्व वसूली का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 158.57 लाख की हुई है । सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ बैठक में उपस्थित थे।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ ।	44.09.04
		2.विमर्श के कम में स्पष्ट हुआ कि प्रखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के स्टोन मेटल एवं अन्य सामग्रियों पर जो विक्री कर की कटौती की जाती है उसे विक्री कर को हस्तगत कराने हेतु पत्र का प्ररूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शीघ्र उपस्थापित किया जाय। इस संबंध में पत्रांक 1190/वा0क0 दिनांक 11.06. 2004 द्वारा जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र सभी प्रखण्डों को भेजा गया है। कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि प्रखण्डों द्वारा अभी तक चालान के माध्यम से कोई राशि इस मद में जमा नहीं की गई है। जिलधिकारी ने निदेश दिया कि पुनः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को स्मार पत्र दिया जाय। पत्र का प्ररूप स्वच्छ प्रति के साथ उपस्थापित किया जाय तथा उसकी प्रति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारियों को भी अनुश्रवण हेतु दी जाय। अनुपालन अप्राप्त है।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ ।	14.09.04

(Signature)

	3. बैठक में समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना प्राप्त की जाय कि कितन-किन प्रखण्डों द्वारा वाणिज्यकर की राशि कटौती कर राशि चालान द्वारा कोषागार में जमा की गयी है। कोषागार पदाधिकारी को समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्डों से जमा की गयी राशि का समेकित विवरणी तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कोषागार पदाधिकारी से अनुपालन अप्राप्त है। अगली बैठक में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा विक्री कर की राशि जमा नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि पुनः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अयोहरताक्षी की ओर से अर्द्धसरकारी स्मार पत्र भेजने हेतु पत्र का प्ररूप सहायक आयुक्त उपस्थापित करेंगे।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ।	14.09.04
	4. समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में विभिन्न प्रकार के यवसाय में लगे व्यापारियों/दुकानदारों का सर्वेक्षण कराया जाय तथा एक लाख रुपये से अधिक का व्यावसाय करनेवाले सभी नये व्यापारियों का निबंधन वाणिज्यकर कर में करने हेतु कार्रवाई की जाय। इसका सर्वेक्षण प्रखण्डवार करवाकर सर्वेक्षण सूची अयोहरताक्षरी को 30 जून तक प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर ने बताया कि अगली बैठक में सर्वेक्षण सूची प्रस्तुत किया जायेगा। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ।	14.09.2004

M. S. S. S.

	5. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर ने बताया कि जिले के सभी वर्क्स विभागों द्वारा विक्री कर की राशि जमा की जा रही है मात्र कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ द्वारा यह राशि जमा नहीं की गई है। उनके द्वारा अबतक 9.00 लाख रुपये की राशि विक्री कर के रूप में जमा की जानी है। समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ उक्त 9.00 लाख रुपये की राशि अविलंब विक्री कर विभाग को भुगतान कर कर अनुपालन प्रतिवेदन अगली मंगलवारी बैठक में निश्चित रूप से देंगे। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ को इस राशि को जमा करने हेतु कड़ा स्मार दिया जाय तथा उसकी प्रति अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल भभुआ को भी इस अनुरोध के साथ दिया जाय कि विक्री कर की 9.00 लाख रुपये की राशि शीघ्र जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में अनुपालन अप्राप्त है। शेष विभागों द्वारा इस मद में जमा की गयी विक्री कर की राशि की विवरणी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय कि किस पदाधिकारी द्वारा कितनी राशि जमा की गयी है चालान की फोटो प्रति के साथ। प्रतिवेदन अप्राप्त है।	कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ कोषागार पदा०, कैमूर।	14.09.2004
	6. विक्री कर विभाग द्वारा किसप्रकार के नागरिकों को क्या-क्या सेवायें उपलब्ध करायी जाती है उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। अनुपालन अप्राप्त है।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ	14.09.2004

M. J. Singh

		7. सभी केबल ऑपरेटरों से विक्री की वसूली की जाय। जिले में कितने केबल ऑपरेटर हैं तथा एक कनेक्शन पर कितना विक्री कर की वसूली करना है। इसका सर्वेक्षण कर केबल ऑपरेटर वार कनेक्शन के अनुसार Assesment कर लिया जाय और तदनुरूप वसूली की कार्यवाई की जाय। इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। अनुपाल अप्राप्त है। सहायक आयुक्त सर्वेक्षण कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देगे।	सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, भभुआ।	14.09.2004
		8. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से विक्री कर की वसूली के लिए बाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची प्राप्त की जाय तथा यह बाजार समिति से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय कि किस थोक खाद्यान्न व्यवसायी द्वारा प्रत्येक माह कितने खाद्यान्न का व्यापार किया गया है। यह सूची सचिव, बाजार समिति, मोहनियां सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, भभुआ को अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध करावेगें।	सचिव, बाजार समिति, मोहनियां एवं सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ	14.09.2004

M. J. Singh

2	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	1. सहायक आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष का उनका वार्षिक लक्ष्य 311.18/- रुपये का है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 138.02 लाख रुपये की हुई है।	समाहयक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध	14.09.2004
		2. नियमानुसार उत्पाद निरीक्षक को साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण दैनिकिनी उपलब्ध कराना है। इस निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सहायक आयुक्त इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा निरीक्षक उत्पाद से प्राप्त अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक भ्रमण दैनिकिनी की प्रति अथोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।	सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, सासाराम।	14.09.04
		3. जिले में एक मशालेदार शराब की दुकान की बन्दोवस्ती नहीं हुई है। इस संबंध में निरीक्षक उत्पाद ने बताया कि एक व्यक्ति इसके लिए रिजर्व जमा में कमी करके बन्दोवस्ती लेने के लिए अपनी सहमति लिखित दी है। पूर्व से इस दुकान का 30,000/- रुपये निर्धारित है परन्तु उक्त व्यक्ति 20,000/- रुपये में लेने हेतु सहमति दी है। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त से सहमति प्राप्त कर बन्दोवस्ती की जा सकती है।	सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, सासाराम।	14.09.04

1
Mangar

3.	निबंधन विभाग।	1. निबंधन का वार्षिक लक्ष्य 825.00 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 333.93 लाख हुई है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)	14.09.04
		2. जिला निबंधन कार्यालय में निबंधित भूमि की सूचना संबंधित अंचल अधिकारियों को भी दी जाय ताकि निबंधन के अनुसार संबंधित विक्रेता के नाम से उसका स्वामित्व खरीज कर केता के नाम दाखिल खरीज हो सके। अंचलवार प्रत्येक सप्ताह समेकित सूची बनाकर संबंधित अंचल अधिकारियों को भेजा जाय तथा उस सूची की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में समर्पित की जाय। जिला अवर निबंधक ने बताया कि 31.07.04 तक संबंधित अंचल अधिकारियों को निबंधन की सूचना जिला अवर निबंधक द्वारा भेजा गया है। अगस्त माह का प्रतिवेदन अप्राप्त है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) एवं सभी अंचल अधिकारी।	14.09.04
		3. समाहर्ता द्वारा पूछे जाने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि कम कीमत का स्टाम्प देकर निबंधित कराई गई भूमि से संबंधित 38 मामले समाहर्ता के न्यायालय में भेजे गए हैं। समाहर्ता ने निदेश दिया कि निबंधन अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत एवं ईम्पाउण्डिंग से संबंधित जिला अवर निबंधक से प्राप्त मामलों का निष्पादन अगस्त माह में किया जायेगा। समाहर्ता ने पेशकार को निदेश दिया कि इसतरह के सभी मामलों को एक साथ उपस्थापित करें।	समाहर्ता न्यायालय	14.09.04
		4. समाहर्ता द्वारा पूछे जाने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि वर्ष 1995 तक निबंधित दस्तावेजों का वितरण किया जा चुका है तथा अब वर्ष 1996 के दस्तावेजों का वितरण किया जा रहा है। समाहर्ता द्वारा पूछे जाने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि 49,000 निबंधित दस्तावेज इन्डेक्सिंग एवं वितरण हेतु निबंधन कार्यालय में है समाहर्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह 6000 निबंधित दस्तावेजों की Delivery देने का आदेश जिला अवर निबंधक को दिया गया।	जिला अवर निबंधक, कैमूर	14.09.04

M. Jeyaraj

4.	नगर पंचायत भमुआ	1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत भमुआ बैठक में उपस्थित थे। नगर पंचायत के वार्षिक लक्ष्य 107.23 के विरुद्ध अद्यतन वसूली 10.25 लाख प्रतिवेदित है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत भमुआ	14.09.04
		2. निबंधन विभाग द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, भमुआ।	14.09.04

Mejendw

Wagishwar

5.	कृषि उत्पादन	बाजार समिति, मोहनिया	1. सहित बाजार समिति बैठक में उपस्थित नहीं थे। विगत बैठक में इनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। सहित के प्रतिनिधि ने बताया कि वार्षिक लेख 108.08 लाख के बिक्रद अद्यतन 27.63 लाख को भी पर्योती हुई है।	सहित, बाजार समिति, मोहनिया। अपर समावर्ती केन्द्र	14.09.04
			13. बाजार समिति द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन है। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाय। अनुपालन आया है।	सहित, बाजार समिति, मोहनिया। 14.09.04	

परिवहन	6	1. जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 185.00 लाख के विरुद्ध 50.15 लाख वसूली प्रतिवेदित है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (ममुआ)	14.09.04
		2. प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां दी गयी हैं। उनके स्तर से इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है। कितने वाहनों की चेकिंग की गई है तथा कितनी राशि की वसूली की गयी है इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। प्रतिवेदन आया है। सभी अंचल अधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के ओर से अर्द्ध सरकारी पत्र द्वारा लिखकर पूछा जाय कि उनके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	14.09.04
		3. समाह्वानों में निर्देश दिया कि परिवहन कार्यालय के पूर्व के वर्षों के सभी अभिलेखांकानुसार/संचिकाओं/पंक्तियों विनका उपयोग वर्तमान में नहीं है उसका वर्षवार/विषयवार वर्गीकरण करायें राज्य परिवहन आर्युक्त बिहार के यहाँ अथवा अभिलेखानगर में जमा करा दिया जाय। अनुपालन आया है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	14.09.04
		4. विपुली गाँव के सामने (दुर्गावली प्रखण्ड) जी०टी०१०२६ पर अस्थाई प्राक्कलन अभी तक नहीं दिया गया। 24 घंटे में प्राक्कलन समाप्त हो चुका पोस्ट निर्माण कराना है। अमर सिंह, कनीय अभियंता द्वारा कर जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, ममुआ।	14.09.04
		5. मोटरयान निरीक्षक प्रत्येक मंगलवाड़ी बैठक में भाग लेना जिससे कि उनके द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा हो सके। इस संबंध में एक पत्र भी मोटर यान निरीक्षक को लिखना है। इस बैठक में भी मोटर यान निरीक्षक उपस्थित है। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। स्पष्टीकरण आया है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	14.09.04

(Signature)

Handwritten signature

14.09.04	प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, कैमूर।	6. प्रतिवेदन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जाँच कर वर्चुअल की गई राशि के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाता है। उपप्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी सहितका में अपनी राशीगतक डिप्लोमा के साथ उपस्थानित करेंगे कि उनके द्वारा जिला पदाधिकारी की गई और जिला पदाधिकारी कहे जा रही। अनुपालन अप्राप्त है।		
14.09.04	जिला प्रतिवेदन पदाधिकारी, कैमूर।	7. प्रतिवेदन से संबंधित निगम पत्र वादों की सूची न्यायालयवापर प्रतिवेदन अगली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थानित करना। सूची अप्राप्त है।		
14.09.04	जिला प्रतिवेदन पदाधिकारी, कैमूर।	8. जिले में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन यथा-टैक्सी/मोटर साइकिल/शीटबील आदि के विक्रेता हैं उन लोगों से प्रतिवेदन साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक की जाती है। जिला प्रतिवेदन कर की राशि नियमानुसार वर्चुअल की जाती है। जिला पदाधिकारी सभी प्रकार के वाहन विक्रेताओं को नोटिस देकर उनके द्वारा बिक्री की गयी वाहनों की विवरणी प्राप्त करें तथा उनके द्वारा किये गए अवसाध पर प्रतिवेदन कर का assessment कर कर प्रतिवेदनकर की राशि की वर्चुअल की जाय। अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाय।		

Handwritten signature

7	खाना विभाग	1. सहायक खाना पदाधिकारी, वीरवार (सासाराम) ही इस ताल के पुराने हैं। श्री राम साह, सहायक खाना पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। 198.13 लाख के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अस्तित्व पर्याप्त 25.51 लाख रुपये प्रतिबंधित हैं। 2. ताल में उपलब्ध बालू घाटों की पूर्ण प्रत्यक्षता दी जाय। सहायक खाना पदाधिकारी, सासाराम	14.09.04
			14.09.04

Handwritten signature

8.	सिवाई राजस्व प्रमण्डल, मोहिनिया।	1. श्री अरुण कुमार सिंह, उप समाह्वता, सिवाई राजस्व प्रमण्डल, मोहिनिया बैठक में उपस्थित नहीं है।	उप समाह्वता सिवाई राजस्व प्रमण्डल, मोहिनिया।	14.09.04
		2. बैठक में उप समाह्वता सिवाई राजस्व प्रमण्डल के प्रतिनिधि ने बताया कि 138.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यावत वसूली 10.62 लाख है।	उप समाह्वता सिवाई राजस्व प्रमण्डल, मोहिनिया।	14.09.04
		3. सिवाई राजस्व प्रमण्डल द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	उप समाह्वता सिवाई राजस्व प्रमण्डल, मोहिनिया।	14.09.04

विद्युत विभाग	9	विद्युत विभाग	1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रामुख, प्रजा इस बैठक में उपस्थित नहीं थे।।	विद्युत, मयुआ।	14.09.04
			2. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विद्युत शुल्क वसूली का लक्ष्य लगभग 3096.00 लाख रुपये है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 92.59 लाख रुपये की हुई है।	विद्युत आपूर्ति प्रामुख, मयुआ।	14.09.04
			3. समाहर्ता ने निदेश दिया कि जिले में अनुमण्डल वार कुल कितने विद्युत के उपभोक्ता हैं तथा उनके पास विद्युत की वकाला बिल भुगतान की क्या स्थिति है। इस संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में भाग लें। अनुपालन आ प्राप्त है।	विद्युत आपूर्ति प्रामुख, मयुआ।	14.09.2004
			4. समाहर्ता द्वारा पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विद्युत से संबंधित कुल 500 निवास पर वार है। परन्तु उन्हीं में यह नहीं बताया कि ये वार किसके न्यायालय में है। अगली बैठक में इसकी पूर्ण विवरणी के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपालन आ प्राप्त है।	विद्युत आपूर्ति प्रामुख, मयुआ।	14.09.2004
			5. विद्युत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन आ प्राप्त है।	विद्युत, मयुआ	14.09.04
			6. जिले में अवस्थित कुल राईस मिल की सूची उपलब्ध कराई जाय। इस सूची में यह बताया कि संबंधित राईस मिल के लिए कितने हॉर्स पावर का विद्युत मोटर पास है तथा उसपर कितना विद्युत शुल्क वकाला है। अगली बैठक में यह सूची उपलब्ध कराई जाय। अनुपालन आ प्राप्त है।	विद्युत, मयुआ।	14.09.2004
			7. परस्परालिया अभियान के मद्देनजर सदर अस्पताल में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।	विद्युत, मयुआ।	14.09.2004

10	लघु सिंवाड़े विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता इस बैठक में उपस्थित थे। इस लिए उनके द्वारा की गयी वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। निष्कर्षित वार्षिक लक्ष्य 2.08 लाख के बिक्रद अदालत वसूली 0.21 लाख को पूरा किया। 14.09.04	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंवाड़े प्रमण्डल, मुआ। 14.09.04
		2. लघु सिंवाड़े विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन आया है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंवाड़े, मुआ। 14.09.04	

Mohinder

11.	राष्ट्रीय बचत विभाग।	1. कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत विभाग, सासाराम बैंक में उपस्थित नहीं है। उन्होंने बताया कि 5000.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अगरल माह तक 1435.33 लाख रुपये की उपलब्धि हुई है। अद्यतन वर्सूली के संबंध में बताया कि अगली बैठक में वर्सूली का आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे। 3. राष्ट्रीय बचत में महिलाओं को अभिकर्ता अभियान चलाकर बनाया जाय। कार्डवाइ की जा रही है बताया गया। समाहर्ता द्वारा पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अभिकर्ताओं की सं 185 है। 4. राष्ट्रीय बचत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है। 5.. 30 अक्टूबर 2004 को विश्व मितव्यविता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सभी राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं की बैठक होगी जिसमें एक करोड़ से उपर की राशि का व्यवसाय करनेवाले अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जायेगा।
कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम	14.09.04	
कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम।	14.09.04	
कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम।	14.09.04	
कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम।	30.10.04	

(Signature)

Handwritten signature

12	राजकीय नलकूप विभाग	1 कार्यालयक अभियंता राजकीय नलकूप श्री श्री-हार्दिल डक इस अपर समाहली, कर्म	24.08.2004
		डैक में उपस्थित है।	
		2. कार्यालयक अभियंता ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 8.48 लाख के बिरुद्ध अद्यतन वर्सूली 0.17 लाख कमया है।	14.09.2004
		कार्यालयक अभियंता, नलकूप, मोहनिया	
		3. राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनिया के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्तर के अभियंता तथा वृत्तीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित अपरानी डैक में प्राप्त की जाय। अनुपालन अप्राप्त।	14.09.2004
		अपर समाहली, कर्म एवं राजकीय नलकूप कार्यालयक अभियंता, प्रमण्डल, मोहनिया	
		4. नलकूप विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाये आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन है। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अपानी डैक में उपलब्ध कराना। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।	14.09.2004
		राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनिया	

13	कृषि विभाग	जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 2.58 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अद्वतन बरसूली 0.88 लाख ऊ० की हुई है। लक्ष्य के अनुकूल बरसूली करने का निर्देश दिया गया।	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर 14.09.04
		2. कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	जिला कृषि पदा०, 14.09.2004 कैमूर।

(Signature)

14	वन विभाग	1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है। अनुपस्थिति के संबंध में पूरे गये सफाईकरण का जवाब दिया है। अनुपस्थिति के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो सकी। विगत बैठक तथा इस बैठक में अनुपस्थिति के लिए सफाईकरण प्राप्त किया जाय।	अपर सहायक, 14.09.04	वन प्रमण्डल, 14.09.2004	वन पदा. कैमरे वन प्रमण्डल, मुआ।	3. वन विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	वन प्रमण्डल पदा. 14.09.04	कैमरे वन प्रमण्डल, मुआ।
----	----------	--	---------------------	-------------------------	---------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Handwritten signature

15.	मापतोल	1. निरीक्षक माप-तोल, भुवनेश्वर बँक में उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि 8.31 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वर्षा 1.58 लाख रु० हुई है। निदेश दिया गया कि वर्षा में वीबता लावे। 2. निदेश दिया गया कि रजिस्ट्रार ऑफ़ डीपॉजिटरी की टंकित सूची अगली बैठक में समीक्षा करें। सूची प्राप्त है। परन्तु यह सूची प्रखण्डवार/अवसाधवार नहीं है। समाहर्ता ने निदेश दिया कि प्रखण्डवार/अवसाधवार सूची दिनांक 20.08.2004 तक हर हाल में प्रखण्डवार/अवसाधवार सूची समीक्षा कर दिया जाय अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।	अपर समाहर्ता, कैम्प	14.09.04
			माप तोल निरीक्षक भुवनेश्वर।	14.09.04

16.	सहकारिता विभाग एवं सासाराम-भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, लि०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास श्री भरोसा राम बैठक में उपस्थित नहीं थे तथा प्रबंध निदेशक, सासाराम-भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम इस बैठक में उपस्थित है। इस सप्ताह से पूर्व का 721.97 लाख के मांग के विरुद्ध वसूली 333.00 प्रतिवेदित है।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव बैंक सासाराम।	14.09.04
		2. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि सहकारिता से संबंधित कुल 1200 निलाम पत्र वाद है। न्यायालयवार बैंक शाखावार एवं प्रखण्डवार निलाम पत्र वादों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, सहकारिता बैंक, सासाराम।	14.09.04
		3. सहकारिता विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	जिला सहकारिता पदा०, रोहतास।	14.09.04
17.	भूमिविकास बैंक	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, भभुआ बैठक में उपस्थित थे। निर्धारित लक्ष्य 245.40 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 22.83 लाख रुपया प्रतिवेदित है।	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, भभुआ।	14.09.04
		2. भूमि विकास बैंक द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	जिला प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, रोहतास।	14.09.04

Mejwal

18.	लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता प्रमंडल, ममुआ बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि उनकी वसूली अद्यतन 0.13 लाख रुपया है।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता प्रमंडल, ममुआ	14.09.04
-----	------------------------------------	---	--	----------

19.	जिला निगम पञ्च	1. अगली सप्ताहिक बैठक में जिला निगम पञ्च पदाधिकारी माना एवं वसूली के पूर्ण विवरण के साथ बैठक में भाग लेंगे। जिला निगम पञ्च पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 2136.81 रुपये के मान के बिरुद वसूली 32.05 रु0 प्रतिवैदित है।	जिला निगम पञ्च पदाधिकारी द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अपात है।	जिला निगम पञ्च 14.09.04	पदा10, कैमूर।
-----	----------------	--	--	-------------------------	---------------

इस बैठक में शेष अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।
(अनुपालन: अपर समाहत्ता, कैमूर (पु331)।

M. K. Singh
2.9.2024
समाहत्ता एवं पदाधिकारी
कैमूर (पु331)

समाहर्ता एवं निगाहकारी
कैमर (मसुआ)।

प्रतिनिधि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनाएँ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

दिनांक 3.9.04

श्रीप श्री
/ श्रीप श्रीप, 03.09.2004

11-06/1204

डॉ० बी० राजेन्द्र, समाहर्ता एवं जिनाधिकारी,
समाहर्ता एवं जिनाधिकारी,
कै० (अध्यापक)

दिनांक 28.09.2004

डॉ० बी० राजेन्द्र, समाहर्ता एवं जिनाधिकारी,
कै०, की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण पराधिकारियों
की सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही

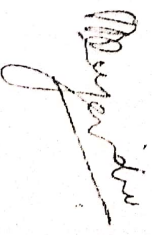
વિષય સૂચી

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠ નં.
1	બૈરક કે સંદર્ભ મેં સામાન્ય નિર્દેશ	3
2	વિષય	2
3	વિષય	3
4	વિષય	3-5
5	વિષય	1-2
6	વિષય	3-5
7	વિષય	6
8	વિષય	7
9	વિષય	8
10	વિષય	9
11	વિષય	10
12	વિષય	11
13	વિષય	12
14	વિષય	13
15	વિષય	14
16	વિષય	15
17	વિષય	16
18	વિષય	17
19	વિષય	18
20	વિષય	19
21	વિષય	20
22	વિષય	21
23	વિષય	22
24	વિષય	23
25	વિષય	24

डॉ०बी०राजेन्द्र, भा०प०से०, समाहर्ता एवं जिलाधिकारी, कैमूर (भुआ) की अध्यक्षता में दिनांक- 28.09.

2004 को आयोजित राजस्व संग्रहण पदाधिकारियों की सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही ।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यवाही पंजी के अनुसार ।
2. यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न में 10.00 बजे से हुआ करेगी ।
3. जिलाधिकारी एवं समाहर्ता की अनुपस्थिति में यह बैठक अपर समाहर्ता द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उप समाहर्ता प्रभारी जिला राजस्व शाखा द्वारा यह बैठक की जायेगी ।
4. इस बैठक का अनुपस्थित जिला राजस्व शाखा द्वारा किया जायेगा तथा इसके प्रभारी एवं कार्यवाह सहायक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह रहेंगे तथा इनकी अनुपस्थिति राजस्व शाखा के प्रधान सहायक इसके प्रभारी एवं कार्यवाह सहायक होंगे । इनका दायित्व होगा कि वे प्रत्येक बैठक में उपस्थिति पंजी तथा विगत बैठक की कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुप अनुपालन में आवश्यक पत्राचार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे ।
5. श्री कमला कान्त मिश्र, समाहर्ता के आशुलिपिक इस बैठक की कार्यवाही नोट करेंगे तथा उसी दिन कम्प्यूटराईज कर श्री सिंह को उपलब्ध करा देंगे । श्री मिश्र की अनुपस्थिति में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, समाहर्ता के आशुलिपिक इस कार्यवाही को नोट करेंगे ।
7. बैठक का स्थान समाहरणालय सभा कक्ष होगा ।
8. प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को आंतरिक संसाधन की गहन समीक्षा विभागवार की जायेगी ।
9. इस बैठक में (आंतरिक संसाधन) राजस्व वसूली से संबंधित निम्नांकित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना है:-
 - (1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, (2) सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (5) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भुआ), कार्यालय, कैमूर (भुआ), (4) सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (5) जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर पंचायत, भुआ (6) कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत कार्यालय, सासाराम, (7) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, भुआ (8) कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, भुआ, (9) सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां, (10) कार्यपालक अभियंता, तटु सिंचाई प्रमण्डल, भुआ, (11) कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां, (12) उप समाहर्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, भुआ, मोहनियां, (13) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भुआ, (14) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भुआ, (15) प्रबंध निदेशक, सासाराम-भुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम, (16) जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (17) जिला प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, कैमूर (भुआ), (18) भूलगान एवं सैरात, (19) जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर (भुआ) (20) जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर, (21) अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक कैमूर, (22) क्षेत्रीय प्रबंधक, भोजपुर-रोहतास प्रांतीय बैंक, भुआ ।



Handwritten signature

10. द्वितीय शृङ्खलार की जिलास्तरीय मासिक समन्वय समिति की बैठक में सहायक आयुक्त गणित्यकर के साथ-साथ गणित्यकर विभाग, मयूआ में पदस्थापित सभी विकी कर पदाधिकारी यथा श्री छोटे लाल बैठा, सहायक आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार, विकी पदाधिकारी, श्री राम किशोर प्रसाद, विकी कर पदाधिकारी यथा श्री आदित्य नारायण, विकी कर पदाधिकारी, मयूआ भी भाग लेंगे।
11. विभागीय बैठकों में अथवा न्यायालय कार्य से मुख्यालय छोड़ने हेतु पूरे औचित्य के साथ लिखित सूचना देकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
12. अवकाश की अवधि में भी अपना सम्पर्क टेलीफोन नम्बर लिखित सूचना के साथ अवश्य अवोहस्ताक्षरी को देंगे ताकि अति आवश्यक परिस्थिति में उनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
13. सभी पदाधिकारियों को समय से बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया।
14. सभी पदाधिकारी बैठक की कार्यवाही के साथ एवं इससे दिये गए निर्देश के अनुपालन के साथ बैठक में भाग लेंगे।

Handwritten signature

3

[illegible]

Mejander

05.10.04	तथैव	13. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कार्यवाह/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।		
05.10.04	तथैव	14. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।		
12.10.04	तथैव	15. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।		
05.10.04	तथैव	16. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कार्यवाह/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।		
05.10.04	तथैव	17. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।		
12.10.04		18. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।		

Handwritten signature

2	उत्पाद एवं मूल निवेश विभाग।	1. सहायक आयुक्त ने बताया कि द्वारा वर्ष का उनका वार्षिक लक्ष्य 311.18 रुपये का है जिसके विरुद्ध अद्यतन वर्षी 145.1 लाख रुपये की हुई है।	समाहक आयुक्त, उत्पाद	28.09.04
		2. नियमानुसार उत्पाद निरीक्षक का साप्ताहिक अंतिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण तथैव	28.09.04	
		3. जिले में एक मशालेदार शराब की दुकान की बन्दोबस्ती नहीं हुई है। बन्दोबस्ती की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	28.09.04
		4. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कमियों के सेवात लभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करवाकर प्रविष्टन देना।	तथैव	28.09.2004
		5. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवात लभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयाजित बैठक में ऐसे कमियों की सूची के साथ भ्रमण लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवा के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	30.09.04
		5. अवैध एवं जहरीली शराब विक्री के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर छापामारी सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	28.09.2004
		6. प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में वार्षिक प्रविष्टन के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करना।	तथैव	28.09.2004
		7. विभागीय बैठक/माननीय उच्च न्यायालय के कार्य से मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में पूर्व आदेश के साथ अवैधतापक्षी की सुनिश्चित करना।	तथैव	28.09.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भागी गये कमियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
		10. कार्यालय की साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

W. H. H. H.

[illegible]

5.	कृषि उत्पादन वाजार समिति माहनिमा	1. सचिव, वाजार समिति बैठक में उपस्थित नहीं थे। निगत बैठकों में इतनी अनुपस्थिति सचिव, वाजार समिति के लिए स्वीकार्य नहीं था। सचिव के प्रतिनिधि ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य 108.08 लाख के बिक्रय अथवा 31.3.27 लाख रु0 की वसूली हुई है।	05.10.04	सचिव,	05.10.04	तथैव	2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवाएं लानों का अद्यतन गूगल पर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित काराकर प्रतिवेदन देना।	05.10.04	तथैव	3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवाएं लानों के गूगल पर सूची उपलब्ध करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयाजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ माग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के गूगल पर सूची उपलब्ध कराना।	05.10.04	तथैव	4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	05.10.04	तथैव	5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/प्रश्नों/	05.10.04	तथैव	6. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से बिक्री कर की वसूली के लिए वाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना।	05.10.04	तथैव	7. वाजार समिति द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। सचिव, उल्लेखित पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-समय निश्चित करके हुए Citizen Charter तैयार करना।	12.10.04	तथैव	8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए माना-गंव कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समिति तैयार करना।	05.10.04	तथैव	9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्त का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समिति तैयार करना।	05.10.04	तथैव	10. कायांलय को साफ-सुथरा रखना।	12.10.04	तथैव
----	--	--	----------	-------	----------	------	---	----------	------	---	----------	------	---	----------	------	--	----------	------	--	----------	------	---	----------	------	--	----------	------	---	----------	------	--------------------------------	----------	------

परिवहन	6	1. निम्न परिवहन पदाधिकारी, केंद्र इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निर्धारित वार्षिक नल 185.00 लाख के बिक्रय 71.20 लाख बर्खास्त प्रतिक्रिया है।	विना प्रति 05.10.04	पटो.
		2. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अध्यापिकाओं को परिवहन अधिनियम के अंतर्गत दी गयी शर्तों के आने के बाद वेडिंग एवं बर्खास्त गैर की गति का प्रतिवेदन प्रेष करना।	05.10.04	तथैव
		3. परिवहन कार्यालय के पुराने सभी अभिलेखों/कागजातों/संविदाओं/पंजीयों का बर्खास्त/विधवार पंजीकरण कर राज्य परिवहन आयोग के यहाँ अथवा अभिलेखगार में जमा करा करना।	05.10.04	तथैव
		4. विपत्ती गैर के सामने (दुर्घटना प्रकृत) जीटीसीटी पर अस्थाई बकपॉस्ट निर्माण करना संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	05.10.04	तथैव तथा श्री अनुर सिंह को अनिवार्य
		5. मोटरवाहन निरीक्षक को प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश देना तथा MVI	05.10.04	विना प्रति 05.10.04
		6. परिवहन विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदर्शन अवर निरीक्षकों एवं प्रदर्शन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जाँच कर बर्खास्त की गई राशि के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	05.10.04	विना प्रति 05.10.04
		7. परिवहन में संबंधित निगम एवं वाहनों की सूची न्यायनधार प्रतिवेदन अगली बैठक में परिवहन रूप से उपस्थापित करना।	05.10.04	तथैव
		8. निम्न में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन बिक्री हेतु किसे गए व्यवसाय पर परिवहन कर की बर्खास्त सुनिश्चित करना तथा इनका सर्वेक्षण कर प्रकृतवार सूची उपलब्ध कराना।	12.10.04	तथैव
		9. विपत्तीय प्रतिवेदन को समयमय विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराना।	05.10.04	तथैव
		10. लीकस/विभाग/विभाग/विभाग/अवधार/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	05.10.04	तथैव
		11. कार्यालय की साफ-सुथरा रखना।	12.10.04	तथैव

8.	विधायक प्रमोद, महाराष्ट्र।	1. श्री अरुण कुमार सिंह, उप महासचिव, महाराष्ट्र सरकार में उप महासचिव।	2. 138.00 लाख रुपये के लक्ष्य के निकट अग्रिम बसूली 11.52 लाख बढ़ाया गया जो विनात बसाहट से कम है।	3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कमियों के संबंध लक्ष्यों का अग्रिम अनुमान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के प्रत्येक 3435 दिनांक 18.09.04 के आदेशों में अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देना।	4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होना वाले सरकारी सेवकों के संबंध लक्ष्यों के अनुमान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु विचारपर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कमियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध दलों के अनुमान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	5. विभागीय प्रतिवेदनों को समयसमय विभाग को उपलब्ध कराना।	6. लालि लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रदेश/	7. विधायक राजेश प्रमोद द्वारा क्या-क्या संबंध आन जाना को उपलब्ध कराई जाती है । उत्तरदायी पदाधिकारी कौन है। उसका समय ज्ञान का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अपात है।	8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भाग लेने वाले कानियों/पदाधिकारियों की सूची सनदित करना।	9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्त का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सनदित करना।	10 कांदाय को साफ-सुथरा रखना।	तथ्य	12.10.04
----	----------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	---	---	------------------------------	------	----------

Mezard

05.10.04	तथ्य	13. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा मानदीय तथ्य	उक्त आयालय से संबंधित कोई मामला संबंधित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।
12.10.04	तथ्य	14. कार्यालय की साफ-सुथरा रखा जा।	

10	लघु सिवाई विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस लिए उनके द्वारा की गयी वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2.08 लाख के बिरुद्ध अद्यतन वसूली 0.90 लाख को प्रतिबोधित है।	05.10.04	लघु सिवाई, मयूख अभिनो,	तथैव	05.10.04	2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश को अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवा लार्गी का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलाक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04	3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनवाले सरकारी सेवकों के सेवा लार्गी के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयाजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	30.09.04	4. विभागीय प्रतिवेदनों को समयव विभाग को उपलब्ध करना।	तथैव	05.10.04	5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद/प्रधान मंत्री/राज्यपाल सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04	6. विभागीय लघु समयव नरालेखाकार को उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04	7. लघु सिवाई विभाग द्वारा क्या-क्या सराव आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उल्लेखनीय पदाधिकारी कौन है। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध करना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	05.10.04	8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भाग नद कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची सुनिश्चित करना।	तथैव	05.10.04	9. अपने विभाग के समय में प्रभावपूर्ण देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त कोई माननीय लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सुनिश्चित करना।	तथैव	05.10.04	10. कार्यपालक को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04
----	------------------	--	----------	------------------------	------	----------	---	------	----------	---	------	----------	--	------	----------	---	------	----------	--	------	----------	--	------	----------	--	------	----------	---	------	----------	----------------------------------	------	----------

11.	राष्ट्रीय बचत विभाग।	1. कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत विभाग, साधारण बँदक में उपस्थित है। निवारित कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, साधारण में उपलब्ध है। 5000.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अनार. माह तक 18.0931 करोड़ रुपये की उपलब्ध है। 3. राष्ट्रीय बचत में महिलाओं को अभिकर्ता अभियान चलाकर बनाया जाय। 4. राष्ट्रीय बचत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाये आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन है। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Charter तैयार कर आगामी बँदक में उपलब्ध करना। अनुपालन आयात है। 5. 30 अक्टूबर 2004 को विश्व निवृत्ति दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सभी राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं की बैठक होगी जिसमें एक करोड़ से उपर की राशि का व्यवसाय करनेवाले अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जायेगा। 6. 01.11.04 से 14.11.04 तक विश्व निवृत्ति दिवस मनाया जाना। 7. श्री मनोज कुमार, सहायक बचत पदा10. साधारण केन्द्र जिला मुख्यालय में म्यूआ में राष्ट्रीय बचत के कार्यों को देखने तथा इनका मुख्यालय म्यूआ में रहेगा। 8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए माने गये कानूनों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना। 9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग ने संवित्तित्व का तथा नानवीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना। 10. कार्यलय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	05.10.04
-----	----------------------	--	------	----------

M. J. J.

12	राजकीय नलकूप विभाग	1. कार्यपालक अभियंता राजकीय नलकूप श्री मीनहजल हक इस बैठक में उपस्थित हैं। 2. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 8.48 लाख के बिकुल अंदाज पर 0.17 लाख कम था। 3. राजकीय नलकूप प्रमूहल, मोहनिया के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्तर के अभियंता तथा एचडी एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सूची संयोजित अगली बैठक में प्राप्त की जाए। 4. नलकूप विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन प्रतिवेदन अपाए हैं।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		5. भारतीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कमियों के सेवाओं का अंदाज अनुमान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रों के माध्यम से 18.09.04 के आदेशों में अनुपालन सुनिश्चित करार प्रतिवेदन देना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		6. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त सरकारी सेवाओं के संबंध में लक्ष्यों के अनुमान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोगों के बैठक में ऐसे कर्मचारियों की सूची के साथ आम, नया पुराने सेवानिवृत्त सरकारी सेवाओं के संबंध में सूची के अनुमान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	30.09.04	राजकीय नलकूप विभाग	30.09.04
		7. विभागीय प्रतिवेदनों को संयोजित विभाग को उपलब्ध कराना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		8. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् पत्रों/प्रस्तावों/निर्देशों/निवेदन/अनुमान/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		9. विभागीय लक्ष्य संयोजित महालेखाकार को उपलब्ध करार अनुपालन प्रतिवेदन देना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		10. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भाग लेने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सूची तैयार करना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04
		11. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्त का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मानना लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सजावित करना।	05.10.04	राजकीय नलकूप विभाग	05.10.04

13	कृषि विभाग	18	1. निर्धारित 2.25 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.88 लाख रु० की हुई है।	जिला कृषि पदाधिकारी	05.10.04
			2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04
			3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	30.09.04
			4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	05.10.04
			5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04
			6. कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	28.09.04
			7. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
			8. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
			9. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

Majumdar

14	वन विभाग	1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है। अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है।	अपर समाहर्ता, कैमूर।	28.09.04
		2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिनिधि रंज अजिंसार भभुआ ने बताया कि अद्यतन बसूली 1,70,415/- रुपये है।	वन प्रमण्डल पदा, कैमूर वन प्रमण्डल,	21.09. 2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथ्य	28.09.04
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित एजें के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथ्य	30.09.04
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथ्य	05.10.04
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथ्य	05.10.04
		3. वन विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथ्य	12.10.04
		4. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथ्य	05.10.04
		5. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथ्य	05.10.04
		6. कार्यालय का साफ-सुथरा रखना।	तथ्य	12.10.04

M. Jaiswal

5	मापतौल	1. निरीक्षक माप-तौल, भगुआ बैठक में उपस्थित हैं। निर्धारित 8.31 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 1.88 लाख रु० हुई है। निदेश दिया गया कि वसूली में तीव्रता लावे।	निरीक्षक, माप तौल	05.10.04
		2. निदेश दिया गया कि रजिस्टर्ड डिलरों को टर्केट सूची अगली बैठक में समर्पित करें। सूची प्राप्त है। परन्तु यह सूची प्रखण्डवार/व्यवसायवार नहीं है। निदेश दिया गया कि दिनांक 28.09.04 तक हर हालत में प्रखण्डवार/व्यवसायवार सूची समर्पित करें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।	तथैव	05.10.04
		3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये-कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
		4. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
		5. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

M. Jeyaraj

16.	सहकारिता विभाग एवं सासाराम-भगुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, लि०	जिना सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास तथा प्रबंध निदेशक, सासाराम-भगुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम इस बैठक में उपस्थित नहीं है। निर्धारित 721.97 लाख मांग के विरुद्ध वसूली 22.36 प्रतिवेदित है।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव बैंक सासाराम।	05.10.04
		2. सहकारिता से संबंधित कुल 1200 निलाम पत्र वाद है। न्यायालयवार बैंक शाखावार एवं प्रखण्डवार निलाम पत्र वादों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	तथैव	05.10.04
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवात लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	05.10.04
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त हानवाले सरकारी सेवकों के सेवात लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	30.09.04
		5. सहकारिता विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.04
		6. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04
		7. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसको सूची समर्पित करना।	तथैव	05.10.04

Majumdar

	6. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथ्यव	12.10.04
17. भूमिविकास बैंक	निर्धारित लक्ष्य 245.40 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 28.29 लाख रुपया प्रतिवर्धित है।	जाणा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, मन्डुआ।	05.10.04
	2. भूमि विकास बैंक द्वारा वया-वया सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथ्यव	12.10.04
	3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए नाने नये कमियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथ्यव	05.10.04
	4. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथ्यव	05.10.04
	5. कैमूर जिला के बैंकों एवं कार्यालय को साफ सुथरा रखना।	तथ्यव	12.10.04

M. S. S. S.

Alfred

19.	जिला निलान पत्र	1. जिला निलान पत्र पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बताया कि 21.08.21 रूपये के भोग के विकल्प वसूली 36.55 लक्ष प्रतिशेदित है।	जिला निलान पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	28.09.04
		3. जिला निलान पत्र पदाधिकारी द्वारा क्या-क्या नवाये आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	जिला निलान पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	28.09.04

इस बैठक में शेष अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(अनुपालन: अपर समाहर्ता, कैमूर (मनुआ)।

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (मनुआ)

झाप सं०

111-4-11/1392

/रा० भमुआ, दिनांक 29.09.2004

4.10.04

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Wajinder
29.9.2004

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भमुआ)।

डॉ०बी०राजेन्दर,भा०प्र०से०,समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,कैमूर
(भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2004 को
आयोजित राज्य संग्रहण पदाधिकारियों की
सप्ताहिक बैठक की प्रतिवेदन

दिनांक 05.10.2004
(जिला-कैमूर)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा,नि०प्र०से०
अपर समाहर्ता,कैमूर (भभुआ)

डॉ०बी०राजेन्दर,भा०प्र०से०,
समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

विषय सूची

क्र०	विषय	पृष्ठ सं०
1	2	3
	बैठक के संदर्भ में सामान्य निर्देश	1-2
1	वाणिज्यकर	3-4
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	5
3	निबंधन	6
4	नगरपंचायत	7
5	कृषि उत्पादन बाजार समिति	8
6	परिवहन	9
7	खनन	10
8	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल	11
9	विद्युत	12-13
10	लघु सिंचाई	14
11	राष्ट्रीय बचत	15
12	राजकीय नलकूप	16
13	कृषि विभाग	17
14	वन विभाग	18
15	माप तौल	19
16-17	सहकारिता एवं भूमि विकास बैंक	20-21
18	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	22
19	जिला नीलाम	23

डॉ०बी०राजेन्द्र,भा०प्र०से०,समाहर्ता एवं जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक- 05.10. 2004 को आयोजित राजस्व संग्रहण पदाधिकारियों की सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही ।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यवाही पंजी के अनुसार ।
2. यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न में 10.00 बजे से हुआ करेगी ।
3. जिलाधिकारी एवं समाहर्ता की अनुपस्थिति में यह बैठक अपर समाहर्ता द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उप समाहर्ता प्रभारी जिला राजस्व-शाखा द्वारा यह बैठक की जायेगी ।
4. इस बैठक का अनुश्रवण जिला राजस्व शाखा द्वारा किया जायेगा तथा इसके प्रभारी एवं कार्यवाहक सहायक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह रहेंगे तथा इनकी अनुपस्थिति राजस्व शाखा के प्रधान सहायक इसके प्रभारी एवं कार्यवाहक सहायक होंगे । इनका दायित्व होगा कि वे प्रत्येक बैठक में उपस्थिति पंजी तथा विगत बैठक की कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में आवश्यक पत्राचार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे ।
5. श्री कमला कान्त मिश्र, समाहर्ता के आशुलिपिक इस बैठक की कार्यवाही नोट करेंगे तथा उसी दिन कम्प्यूटराईज कर श्री सिंह को उपलब्ध करा देंगे । श्री मिश्र की अनुपस्थिति में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, समाहर्ता के आशुलिपिक इस कार्यवाही को नोट करेंगे ।
6. बैठक का स्थान समाहरणालय सभा कक्ष होगा
7. प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को आंतरिक संसाधन की गहन समीक्षा विभागवार की जायेगी ।
8. इस बैठक में (आंतरिक संसाधन) राजस्व वसूली से संबंधित निम्नांकित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना है:-
 - (1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, (2) सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, रोहतास (सासाराम), (3) जिला अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय, कैमूर (भभुआ), (4) सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (5) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ), (6) कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय बचत कार्यालय,

सासाराम, (7) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, भभुआ (8) कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, भभुआ, (9) सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां, (10) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ, (11) कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां, (12) उप समाहर्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां, (13) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ, (14) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ, (15) प्रबंध निदेशक, सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम, (16) जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (17) जिला प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, कैमूर (भभुआ), (18) भूलगान एवं सैरात, (19) जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) (20) जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (21) अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर, (22) क्षेत्रीय प्रबंधक, भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, भभुआ, ।

9. द्वितीय शुक्रवार की जिलास्तरीय मासिक समन्वय समिति की बैठक में सहायक आयुक्त वाणिज्यकर के साथ-साथ वाणिज्यकर विभाग, भभुआ में पदस्थापित सभी विकी कर पदाधिकारी यथा श्री छोटे लाल बैठा, सहायक आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार, विकी पदाधिकारी, श्री राम किशोर प्रसाद, विकी कर पदाधिकारी तथा श्री आदित्य नारायण, विकी कर पदाधिकारी, भभुआ भी भाग लेंगे ।
10. विभागीय बैठकों में अथवा न्यायालय कार्य से मुख्यालय छोड़ने हेतु पूरे औचित्य के साथ लिखित सूचना देकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे ।
11. अवकाश की अवधि में भी अपना सम्पर्क टेलीफोन नम्बर लिखित सूचना के साथ अवश्य अधोहस्ताक्षरी को देंगे ताकि अति आवश्यक परिस्थिति में उनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके ।
12. सभी पदाधिकारियों को समय से बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया ।
13. सभी पदाधिकारी बैठक की कार्यवाही के साथ एवं इसमें दिये गए निदेश के अनुपालन के साथ बैठक में भाग लेंगे ।

क्र०	विभाग	दिये गए निर्देश	उत्तरदायी पदाधिकारी	अनुपालन की तिथि
1	वाणिज्यकर, विभाग	1. सहायक आयुक्त विक्री कर ने बताया कि विभाग द्वारा 734 लाख राजस्व वसूली का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 187.92 लाख की हुई है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ बैठक में उपस्थित थे।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ।	12.10.04
		2. जिला में प्रखण्डों के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली निर्माण समग्रियों पर विक्री की कटौती कर कोषागार चालान द्वारा विक्रीकर की राशि जमा कराना।	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सहायक आयुक्त,	12.10.04
		3. जिले में विभिन्न व्यवसाय में संलग्न व्यापारियों/दुकानदारों का प्रखण्डवार/व्यवसायवार सर्वेक्षण कराकर एक लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय करने वालों से विक्री कर की वसूली हेतु सूची सप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करना।	सहायक आयुक्त,	12.10.04
		4. सहायक आयुक्त, विक्रीकर सहित अन्य विक्री कर पदाधिकारियों के न्यायालय में विक्री कर के लंबितवादों की सूची उपलब्ध कराना।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ।	12.10.04
		5. विक्री कर के 140 निलामपत्र वादों में 2.66 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है। इन वादों करवाई कर राशि की वसूली सुनिश्चित कराना।	अनुमण्डल पदा०, भुआ/मोहनिया एवं जिला निलाम पत्र पदा० कैमूर।	12.10.04
		6. जिले के सभी वर्क्स विभागों द्वारा संचालित कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली निर्माण समग्रियों पर विक्री कर की कटौती कर कोषागार चालान द्वारा विक्री कर की राशि जमा करना।	सभी वर्क्स विभाग के कार्य० अभि०, सहायक आयुक्त, कोषागार पदा०,	12.10.04
		7. विक्री कर विभाग द्वारा किसप्रकार के नागरिकों को क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। अनुपालन अप्राप्त है।	सहायक आयुक्त,	12.10.04

		8. सभी केबल ऑपरेटरों का सर्वेक्षण करा कर सर्वेक्षण सूची सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना। सर्वेक्षण के उपरान पिक्की कर Assesment कर उनरो वसूली की कार्रवाई करना।	सहायक आयुक्त,	12.10.04
		9. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से विक्री कर की वसूली के लिए बाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना।	सचिव, बाजार समिति, मोहनियां।	12.10.04
		10. शराब के कितने थोक व्यापारी विक्री कर में निबंधित हैं इसकी सूची सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध करा दिया जाय।	सहायक आयुक्त,	12.10.04
		11. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	सहायक आयुक्त,	12.10.04
		12. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	सहायक आयुक्त	12.09.04
		13. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.04
		14. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.04
		15. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04
		16. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.04
		17. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.04

2	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	1. सहायक आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष का उनका वार्षिक लक्ष्य 311.18 रुपये का है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 145.1 लाख रुपये की हुई है।	समाहयक आयुक्त, उत्पाद सासाराम	28.09.04
		2. नियमानुसार उत्पाद निरीक्षक को साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण दैनन्दिनी उपलब्ध कराना है। सहायक आयुक्त इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावेगें।	तथैव	28.09.04
		3. जिले में एक मशालेदार शराब की दुकान की बन्दोवस्ती नहीं हुई है। बन्दोवस्ती की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	28.09.04
		4. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		5. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.04
		5. अवैध एवं जहरीली शराब विक्री के विरुद्ध सधन अभियान चलाकर छापामी सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	12.10.2004
		6. प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में वॉछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करना।	तथैव	12.10.2004
		7. विभागीय बैठक/माननीय उच्च न्यायालय के कार्य से मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में पूरे औचित्य के साथ अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करना।	तथैव	12.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

3.	निबंधन विभाग।	1. निबंधन का वार्षिक लक्ष्य 825.00 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 381.1 लाख हुई है।	जिलाअवर निबंधक,	12.10.2004
		2. निबंधित भूमि की सूची वॉरिंट प्रपत्र में संबंधित अंचल अधिकारियों का प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से भेजना तथा उसकी सूचना सप्ताहिक बैठक में देना।	तथैव एवं सभी अंचल अधिकारी !	12.10.2004
		3. जिला अवर निबंधक से इम्पाउण्डिंग के लिए प्राप्त मामलों का निष्पादन करना।	समाहर्ता न्यायालय	12.10.2004
		4. पूर्व के निबंधित सभी दस्तावेजों जिनका फोटो स्टेट हो गया है उनमें से प्रत्येक सप्ताह 6000 दस्तावेजों का Delivery सुनिश्चित कराना एवं अनुपालन देना।	जिला अवर निबंधक,	12.10.2004
		5. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		6. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लागू के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		7. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		8. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.2004

4.	नगर पंचायत भभुआ	1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत भभुआ बैठक में उपस्थित नहीं थे। नगर पंचायत के वार्षिक लक्ष्य 107.23 के विरुद्ध अद्यतन वसूली 11.30 लाख प्रतिवेदित है। अद्यतन वसूली अप्राप्त।	कार्यपालक पदा0	12.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		6. नगर पंचायत परिसर में बनने वाले शताब्दी मार्केट कम्प्लेक्स का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करना।	तथैव	12.10.2004
		7. नगर पंचायत द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय।	तथैव	12.10.04
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

5.	कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां	8 1. सचिव, बाजार समिति बैठक में उपस्थित नहीं थे। विगत बैठकों में इनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाय। सचिव के प्रतिनिधि ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य 108.08 लाख के विरुद्ध अद्यतन 31.3.27 लाख रु० की वसूली हुई है।	सचिव,	12.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वसन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		6. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से विक्री कर की वसूली के लिए बाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		7. बाजार समिति द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार करना।	सचिव,	12.10.04
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

6	परिवहन	1. जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 185.00 लाख के विरुद्ध 71.20 लाख वसूली प्रतिवेदित है।	जिला परि0 पदा10,	12.10.2004
		2. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों के आलोक वाहन चैकिंग एवं वसूली गई दण्ड की राशि का प्रतिवेदन प्राप्त करना।	तथैव	12.10.2004
		3. परिवहन कार्यालय के पुराने सभी अभिलेखों कागजातों/ संचिकाओं/पंजियों का वर्षवार/विषयवार वर्गीकरण कर राज्य परिवहन आयुक्त के यहाँ अथवा अभिलेखागार में जमा करा कराना।	तथैव	12.10.2004
		4. चिपली गॉव के सामने (दुर्गावती प्रखण्ड) जी0टी0रोड पर अस्थाई चेकपोस्ट निर्माण कराने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	तथैव तथा श्री अनुर सिंह, क0 अभियंता,	12.10.2004
		5. मोटरयान निरीक्षक को प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देना तथा अनुपालन सुनिश्चित करवाना।	MVI	12.10.2004
		6. परिवहन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जाँच कर वसूल की गई राशि के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	जिला परि0 पदा10,	12.10.2004
		7. परिवहन से संबंधित निलान पत्र वादों की सूची न्यायालयवार प्रतिवेदन अगली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थापित करना।	तथैव	12.10.2004
		8. जिले में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन विक्रेता द्वारा किये गए व्यवसाय पर परिवहन कर की वसूली सुनिश्चित करना तथा इनका सर्वेक्षण कर प्रखण्डवार सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.04
		9. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		10. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		11. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

7	खनन विभाग	10 1. सहायक खनन पदाधिकारी, श्री शम्भू साह, सहायक खनन पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। 198.13 लाख के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वसूली 30.01 लाख रुपये प्रतिवेदित है। अद्यतन वसूली अप्राप्त।	अपर समाहर्ता, कैमूर खनन पदाधिकारी	12.10.2004
		2. जिले में उपलब्ध बालू घाटों की सूची प्रखण्डवार प्रस्तुत करना।	AMO	12.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		7. कैमूर जिला में कसर उद्योग में संलग्न लोगों की सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		8. ईट भट्ठा मालिकों की सूची उपलब्ध कराना तथा विक्री कर में उनका निबंधन सुनिश्चित कराना।	तथैव	12.10.2004
		9. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		11. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

8.	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां।	1. श्री अरूण कुमार सिंह, उप समाहर्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां बैठक में उप समाहर्ता	12.10.2004
		2. 138.01 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 11.52 लाख बताया गया जो विगत सप्ताह से कम है।	तथैव 12.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव 12.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव 12.10.2004
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव 12.10.2004
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव 12.10.2004
		7. सिंचाई राजस्व प्रमण्डल द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव 12.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए नंगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव 12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव 12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव 12.10.04

9	विद्युत विभाग	1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भुआ इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। प्रतिनिधि सहायक अभियंता वसूली का ऑकड़ नहीं दे सके।	कार्यो अभि०.	12.10.2004
		2. विद्युत शुल्क वसूली का लक्ष्य 3096.00 लाख रुपया है जिसके विरुद्ध वसूली 103 लाख रुपये बताया गया। अद्यतन वसूली अप्राप्त।	तथैव	12.10.2004
		3. जिले में अनुमण्डल वार कुल कितने विद्युत के उपभोक्ता हैं तथा उनके पास विद्युत की बकाया बिल भुगतान की क्या स्थिति है। इस संबंध में पूर्ण सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		4. विद्युत से संबंधित कुल 500 निलाम पत्र वादों की सूची न्यायालयवार समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		5. विद्युत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
		6. जिले में अवस्थित राईस मिल की सूची प्रखण्डवार पूर्ण विवरण के साथ एवं उनपर बकाया विद्युत बिल के साथ उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		7. पल्सपोलियो अभियान के मददेनजर सदर अस्पताल में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।	तथैव	12.10.2004
		8. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		9. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		10. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		11. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकष/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		12. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004

	13. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथेव	12.10.2004
	14. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथेव	12.10.04

10	लघु सिंचाई विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस लिए उनके द्वारा की गयी वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2.08 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.90 लाख रु० प्रतिवेदित है।	कार्यपालक अभि०, लघु सिंचाईभभुआ	12.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवां के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		5. ललित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ ध्यानाकर्षण/निवेदन/अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		6. विभागीय लेखा ससमय महालेखाकार को उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		7. लघु सिंचाई विभाग द्वारा क्या-क्या सहाय्य आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मागे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला ललित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

11. राष्ट्रीय बचत विभाग।	1. कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत विभाग, सासाराम बैठक में उपस्थित हैं। निर्धारित 5000.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अगस्त माह तक 18.0931 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई है।	कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम	12.10.2004
	3. राष्ट्रीय बचत में महिलाओं को अभिकर्त्ता अभियान चलाकर बनाया जाय।	तथैव	12.10.2004
	4. राष्ट्रीय बचत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
	5. 30 अक्टूबर 2004 को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सभी राष्ट्रीय बचत अभिकर्त्ताओं की बैठक होगी जिसमें एक करोड़ से उपर की राशि का व्यवसाय करनेवाले अभिकर्त्ताओं को सम्मानित किया जायेगा।	तथैव	12.10.2004
	6. 01.11.04 से 14.11.04 तक विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाना।	तथैव	14.11.04
	7. श्री मनोज कुमार, सहायक बचत पदा०, सासाराम कैमूर जिला मुख्यालय ग गमुआ में राष्ट्रीय बचत के कार्यों को देखेंगे तथा इनका मुख्यालय भुआ में रहेगा।	तथैव	12.10.2004
	8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
	9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
	10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.2004

12	राजकीय नलकूप विभाग	16	1. कार्यपालक अभियंता राजकीय नलकूप श्री मीनहाजूल हक इस बैठक में उपस्थित हैं।	कार्य0अभियंता	12.10.2004
			2. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 8.48 लाख के विरुद्ध अद्यतन बरसूली 0.17 लाख रुपया है।	तथैव	12.10.2004
			3. राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनिया के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्तर के अभियंता तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित अगली बैठक में प्राप्त की जाय। अनुपालन अप्राप्त।	तथैव	12.10.2004
			4. नलकूप विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
			5. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
			6. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
			7. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
			8. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
			9. विभागीय लेखा ससमय महालेखाकार को उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
			10. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
			11. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई नानला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004

13	कृषि विभाग	17	1. निर्धारित 2.25 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.88 लाख रु० की हुई है।	जिला कृषि पदा०	12.10.2004
			2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
			3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
			4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
			5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
			6. कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
			7. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांग गये कमियां/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
			8. अपने विभाग के सचिव में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
			9. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

14	वन विभाग	1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है।	अपर समाहर्ता, कैमूर।	12.10.2004
		2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिनिधि रेंज ऑफिसर भुआ ने बताया कि अद्यतन वसूली 1,70,415/-रुपया है।	वन प्रमण्डल पदा, कैमूर वन प्रमण्डल.	12.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय दिनांक को उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ध्यानाकषण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		3. वन दिनांक द्वारा क्या-क्या सेवाएं जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		4. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मान गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची सन्निहित करना।	तथैव	12.10.2004
		5. अपन दिनांक के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सन्निहित करना।	तथैव	12.10.2004
		6. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

15	मापतौल	1. निरीक्षक माप-तौल, भमुआ बैठक में उपस्थित हैं। निर्धारित 8.31 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 1.88 लाख रु0 हुई है। निदेश दिया गया कि वसूली में तीब्रता लावें।	निरीक्षक, मापतौल	12.10.2004
		2. निदेश दिया गया कि रजिस्टर्ड डिलरों की टंकित सूची अगली बैठक में समर्पित करें। सूची प्राप्त है। परन्तु यह सूची प्रखण्डवार/व्यवसायवार नहीं है। निदेश दिया गया कि दिनांक 28.09.04 तक हर हालत में प्रखण्डवार/व्यवसायवार सूची समर्पित करें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।	तथैव	12.10.2004
		3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		4. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		6. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

16.	सहकारिता विभाग एवं सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, लि०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास तथा प्रबंध निदेशक, सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम इस बैठक में उपस्थित नहीं है। निर्धारित 721.97 लाख नांग के विरुद्ध वसूली 22.36 प्रतिवेदित है।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम।	12.10.2004
		2. सहकारिता से संबंधित कुल 1200 निलाम पत्र वाद है। न्यायालयवार बैंक शाखावार एवं प्रखण्डवार निलाम पत्र वादों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	तथैव	12.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	12.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	12.10.2004
		5. सहकारिता विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	12.10.2004
		6. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची सनर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		7. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई नानला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सनर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		8. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

17.	भूमिविकास बैंक	निर्धारित लक्ष्य 245.40 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 28.29 लाख रुपया प्रतिवेदित है।	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, भुआ।	12.10.2004
		2. भूमि विकास बैंक द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	12.10.2004
		3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए नांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		4. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	12.10.2004
		5. कैमूर जिला के बैंकों एवं कार्यालय को साफ सुथरा रखना।	तथैव	12.10.04

19.	जिला निलाम पत्र	23 1. जिला निलाम पत्र पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बताया कि 2136.81 रुपये के मांग के विरुद्ध वचूली 36.55 रु० प्रतिवेदित है।	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	12.10.2004
		3. जिला निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	जिला निलाम पत्र पदा०, कैमूर।	12.10.2004

इस बैठक में शेष अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(अनुपालन: अपर समाहर्ता, कैमूर (भमुआ)।

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भमुआ)

ज्ञाप सं० YII-4-04/1404

/रा० भमुआ, दिनांक ११.१०.०४

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भमुआ)।

समाहरणाय, कैमूर (भभुआ)



डॉ०बी०राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की
अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2004 को हुई राजस्व संग्रहण
पदाधिकारियों की सप्ताहिक बैठक की प्रतिवेदन

डॉ०बी०राजेन्दर, भा०प्र०से०,
समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

विषय सूची

क्र०	विषय	पृष्ठ सं०
1	बैठक के संदर्भ में सामान्य निर्देश	3
1	वाणिज्यकर	1-2
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	3-4
3	निबंधन	5
4	नगरपंचायत	6
5	कृषि उत्पादन बाजार समिति	7
6	परिवहन	8
7	खनन	9
8	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल	10
9	विद्युत	11
10	लघु सिंचाई	12
11	राष्ट्रीय बचत	13
12	राजकीय नलकूप	14
13	कृषि विभाग	15
14	वन विभाग	16
15	माप तौल	17
16-17	सहकारिता एवं भूमि विकास बैंक	18
18	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	19-20
19	जिला नीलाम	21
		22

10वीं राजेन्दर, भा0 प्र0 से0, समाहर्ता एवं जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक-
10.2004 को आयोजित राजस्व संग्रहण पदाधिकारियों की सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही ।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यवाही पंजी के अनुसार ।
2. यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न में 10.00 बजे से हुआ करेगी ।
3. जिलाधिकारी एवं समाहर्ता की अनुपस्थिति में यह बैठक अपर समाहर्ता द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उप समाहर्ता प्रभारी जिला राजस्व शाखा द्वारा यह बैठक की जायेगी ।
4. इस बैठक का अनुश्रवण जिला राजस्व शाखा द्वारा किया जायेगा तथा इसके प्रभारी एवं कार्यवाहक सहायक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह रहेंगे तथा इनकी अनुपस्थिति राजस्व शाखा के प्रधान सहायक इसके प्रभारी एवं कार्यवाहक सहायक होंगे । इनका दायित्व होगा कि वे प्रत्येक बैठक में उपस्थिति पंजी तथा विगत बैठक की कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के अ अनुपालन में आवश्यक पत्राचार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे ।
5. श्री कमला कान्त मिश्र, समाहर्ता के आशुलिपिक इस बैठक की कार्यवाही नोट करेंगे तथा उरी दिन कम्प्यूटराईज कर श्री सिंह को उपलब्ध करा देंगे । श्री मिश्र की अनुपस्थिति में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, समाहर्ता के आशुलिपिक इस कार्यवाही को नोट करेंगे ।
6. बैठक का स्थान समाहरणालय सभा कक्ष होगा
7. प्रत्येक माह के द्वितीय शुकवार को आंतरिक संसाधन की गहन समीक्षा विभागवार की जायेगी ।
8. इस बैठक में (आंतरिक संसाधन) राजस्व वसूली से संबंधित निम्नांकित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना है:-

(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, (2) सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, रोहतास (सासाराम), (3) जिला अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय, कैमूर (भभुआ), (4) सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (5) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ), (6) कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय बचत कार्यालय,

2

सासाराम, (7) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, भभुआ (8) कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, भभुआ, (9) सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां, (10) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ, (11) कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां, (12) उप समाहर्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ, (13) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ, (14) कार्यपालक अभियंता, लोक जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (15) प्रबंध निदेशक, सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम, (16) (18) भूलगान एवं सैरात, (19) जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) (20) जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) (21) अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर, (22) क्षेत्रीय प्रबंधक, भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, भभुआ, ।

9. द्वितीय शुक्रवार की जिलास्तरीय मासिक समन्वय समिति की बैठक में सहायक आयुक्त वाणिज्यकर के साथ-साथ वाणिज्यकर विभाग, भभुआ में पदस्थापित सभी विक्री कर पदाधिकारी यथा श्री छोटे लाल बैठा, सहायक आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार, विक्री पदाधिकारी, श्री राम किशोर प्रसाद, विक्री कर पदाधिकारी तथा श्री आदित्य नारायण, विक्री कर पदाधिकारी, भभुआ भी भाग लेंगे ।
10. विभागीय बैठकों में अथवा न्यायालय कार्य से मुख्यालय छोड़ने हेतु पूरे औचित्य के साथ लिखित सूचना देकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे ।
11. अवकाश की अवधि में भी अपना सम्पर्क टेलीफोन नम्बर लिखित सूचना के साथ अवश्य अधोहस्ताक्षरी को देंगे ताकि अति आवश्यक परिस्थिति में उनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके ।
12. सभी पदाधिकारियों को समय से बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया ।
13. सभी पदाधिकारी बैठक की कार्यवाही के साथ एवं इसमें दिये गए निदेश के अनुपालन के साथ बैठक में भाग लेंगे ।

क्र०	विभाग	दिये गए निदेश	उत्तरदायी पदाधिकारी	अनुपालन की तिथि
1	वाणिज्यकर, विभाग	1. सहायक आयुक्त विक्री कर ने बताया कि विभाग द्वारा 734 लाख राजस्व वसूली का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 211.81 लाख की हुई है।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भुआ।	26.10.2004
		2. जिला में प्रखण्डों के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली निर्माण समग्रियों पर विक्री की कटौती कर कोषागार चालान द्वारा विक्री कर की राशि जमा कराना।	सभी प्र०वि०पदा० एवं सहायक आयुक्त,	26.10.2004
		3. जिले में विभिन्न व्यवसाय में संलग्न व्यापारियों/दुकानदारों का प्रखण्डवार/व्यवसायवार सर्वेक्षण कराकर एक लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय करने वालों से विक्री कर की वसूली हेतु सूची सप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करना।	सहायक आयुक्त,	26.10.2004
		4. सहायक आयुक्त, विक्री कर सहित अन्य विक्री कर पदाधिकारियों के न्यायालय में विक्री कर के लंबितवादों की सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		5. विक्री कर के 140 निलामपत्र वादों में 2.66 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है। इन वादों की कार्यवाही कर राशि की वसूली सुनिश्चित कराना।	अनुमण्डल पदा०, भुआ/मोहनिया एवं जिला निलाम पत्र पदा० कैमूर।	26.10.2004
		6. जिले के सभी वर्क्स विभागों द्वारा संचालित कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली निर्माण समग्रियों पर विक्री कर की कटौती कर कोषागार चालान द्वारा विक्री कर की राशि जमा करना।	सभी कार्य० अभि०, सहायक आयुक्त, कोषागार पदा०,	26.10.2004
		7. वनचसपर्वजम सीमेंट बेंचने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध अनियान चलाकर प्रखण्डवार छापामारी की जाय एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। उनसे विक्री कर की वसूली की जाय।	सहायक आयुक्त	09.11.2004
		8. विक्री कर विभाग द्वारा किस प्रकार के नागरिकों को क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। अनुपालन अप्राप्त है।	सहायक आयुक्त,	09.11.2004

		9. सभी केबल ऑपरेटरों का सर्वेक्षण करा कर सर्वेक्षण सूची सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना। सर्वेक्षण के उपरान्त विक्री कर Assessment कर उनसे वसूली की कार्यवाई करना।	सहायक आयुक्त,	26.10.2004
		10. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से विक्री कर की वसूली के लिए बाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना।	सचिव, बाजार समिति, मोहनियां ।	26.10.2004
		11. शराब के कितने थोक व्यापारी विक्री कर में निबंधित हैं इसकी सूची सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध करा दिया जाय।	सहायक आयुक्त,	26.10.2004
		12. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	सहायक आयुक्त,	26.10.2004
		13. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवां के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	सहायक आयुक्त	26.10.2004
		14. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		14. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		15. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004
		16. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		17. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004

2	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	5 1. सहायक आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष का उनका वार्षिक लक्ष्य 311.18 रुपये का है जिसके विरुद्ध अद्यतन वसूली 150.4 लाख रुपये की हुई है।	समाहयक आयुक्त, उत्पाद सासाराम	26.10.2004
		2. नियमानुसार उत्पाद निरीक्षक को साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण दैनन्दिनी उपलब्ध कराना है। सहायक आयुक्त इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावेगें	तथैव	26.10.2004
		3. जिले में एक मशालेदार शराब की दुकान की बन्दोवस्ती नहीं हुई है। बन्दोवस्ती की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	26.10.2004
		4. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		5. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		5. अवैध एवं जहरीली शराब विक्री के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर छापामारी सुनिश्चित किया जाय।	तथैव	26.10.2004
		6. प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करना।	तथैव	26.10.2004
		7. विभागीय बैठक/माननीय उच्च न्यायालय के कार्य से मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में पूरे औचित्य के साथ अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करना।	तथैव	26.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		10. कार्यालय का साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

3.	निबंधन विभाग।	6	1. निबंधन का वार्षिक लक्ष्य 825.00 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 409.71 लाख हुई है।	जिलाअवर निबंधक,	26.10.2004
			2. निबंधित भूमि की सूची वॉछित प्रपत्र में संबंधित अंचल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से भेजना तथा उसकी सूचना सप्ताहिक बैठक में देना।	तथैव एवं सभी अंचल अधिकारी।	26.10.2004
			3. जिला अवर निबंधक से इम्प्राउण्डिंग के लिए प्राप्त मानलों का निष्पादन करना। 04 मामलों का निष्पादन हो चुका है।	समाहर्ता न्यायालय	26.10.2004
			4. पूर्व के निबंधित सभी दस्तावेजों जिनका फोटो स्टैट हो गया है उनमें से प्रत्येक सप्ताह 6000 दस्तावेजों का Delivery सुनिश्चित करना एवं अनुपालन देना।	जिला अवर निबंधक,	26.10.2004
			5. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			6. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
			7. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			8. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्ना/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए माने गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			9. अपने विभाग के सदस्य में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्त का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

4.	नगर पंचायत भन्जुना	7	1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत भन्जुना बैठक में उपस्थित नहीं थे। नगर पंचायत के वार्षिक लक्ष्य 107.23 के विरुद्ध अद्यतन वसूली 11.30 लाख प्रतिवेदित है। अद्यतन वसूली अप्राप्त।	कार्यपालक पदा0	26.10.2004
			2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवात लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवात लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
			4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			6. नगर पंचायत परिसर में बनने वाले शताब्दी मार्केट कम्प्लेक्स का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करना।	तथैव	26.10.2004
			7. नगर पंचायत द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय।	तथैव	26.10.2004
			8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भाग गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

5. कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां	1. सचिव, बाजार समिति बैठक में उपस्थित नहीं थे। विगत बैठकों में इनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाय। सचिव के प्रतिनिधि ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य 109.08 लाख के विरुद्ध अद्यतन 2.20 लाख रु० की वसूली हुई है।	सचिव,	26.10.2004
	2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
	3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
	4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
	5. लंबित लोजस्तभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
	6. थोक खाद्यान्न विक्रेताओं से विक्री कर की वसूली के लिए बाजार समिति से थोक खाद्यान्न व्यापारियों की सूची अगली सप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
	7. बाजार समिति द्वारा आम नागरिकों को क्या-क्या सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय-सीमा निर्धारित करते हुए Citizen Charter तैयार करना।	सचिव,	26.10.2004
	8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मागे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
	9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई नामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
	10. कार्यालय को साफ-सुधरा रखना।	तथैव	26.10.2004

6	परिवहन	9	1. जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 185.00 लाख के विरुद्ध 90.30 लाख वसूली प्रतिवेदित है।	जिला परि0 पदा0,	26.10.2004
			2. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों के आलोक वाहन चेकिंग एवं वसूली गई दण्ड की राशि का प्रतिवेदन प्राप्त करना।	तथैव	26.10.2004
			3. परिवहन कार्यालय के पुराने सभी अभिलेखों कागजातों/ संचिकाओं/ पंजियों का वर्षवार/ विषयवार वर्गीकरण कर राज्य परिवहन आयुक्त के यहाँ अथवा अभिलेखागार में जमा करा कराना।	तथैव	26.10.2004
			4. चिपली गाँव के सामने (दुर्गावती प्रखण्ड) जी0टी0रोड पर अस्थाई चेकपोस्ट निर्माण कराने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	तथैव तथा श्री अमर सिंह, क0 अभियंता,	26.10.2004
			5. मोटरयान निरीक्षक को प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देना तथा अनुपालन सुनिश्चित करवाना।	MVI	26.10.2004
			6. परिवहन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जाँच कर वसूल की गई राशि के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।	जिला परि0 पदा0,	26.10.2004
			7. परिवहन से संबंधित निलाम पत्र वादों की सूची न्यायालयवार प्रतिवेदन अगली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थापित करना।	तथैव	26.10.2004
			8. जिले में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन विक्रेता द्वारा किये गए व्यवसाय पर परिवहन कर की वसूली सुनिश्चित करना तथा इनका सर्वेक्षण कर प्रखण्डवार सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			9. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			10. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			11. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

7	खनन विभाग	10	1. सहायक खनन पदाधिकारी, श्री शम्भू साह, सहायक खनन पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हैं। 198.13 लाख के वार्षिक लब्ध के विरुद्ध वसूली 30.01 लाख रुपये प्रतिवेदित है। अद्यतन वसूली अप्राप्त।	अपर समाहर्ता, कैमूर स0ख0पदा0	26.10.2004
			2. जिले में उपलब्ध बालू घाटों की सूची प्रखण्डवार प्रस्तुत करना।	AMO	26.10.2004
			3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवा लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवा लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
			5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			7. कैमूर जिला में कसर उद्योग में संलग्न लोगों की सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			8. ईट भट्टा मालिकों की सूची उपलब्ध कराना तथा विक्री कर में उनका निबंधन सुनिश्चित कराना।	तथैव	26.10.2004
			9. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			10. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मानला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			11. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

8.	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, नोहनिया।	1. श्री अरूण कुमार सिंह, उप समाहर्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनिया बैठक में नहीं उपस्थित हैं।	उप समाहर्ता	26.10.2004
		2.. 138.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 11.52 लाख बताया गया जो विगत सप्ताह से कम है।	तथैव	26.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवा लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवा लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		7. सिंचाई राजस्व प्रमण्डल द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची सनर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची सनर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

9	विद्युत विभाग	1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भुआ इस बैठक में उपस्थित थे। प्रतिनिधि सहायक अभियंता वसूली का ऑकड़ नहीं दे सके।	कार्यो अभि०,	26.10.2004
		2. विद्युत शुल्क वसूली का लक्ष्य 3096.00 लाख रुपया है जिसके विरुद्ध वसूली 1.34 करंड रुपये बताया गया।	तथैव	26.10.2004
		3. जिले में अनुमण्डल वार कुल कितने विद्युत के उपभोक्ता हैं तथा उनके पास विद्युत की बकाया बिल भुगतान की क्या स्थिति है। इस संबंध में पूर्ण सूची उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		4. जिले में अवस्थित राईस मिल की सूची प्रखण्डवार पूर्ण विवरण के साथ एवं उनपर बकाया विद्युत बिल के साथ उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		5. पल्सपोलियो अभियान के मददेनजर सदर अस्पताल में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।	तथैव	26.10.2004
		6. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		7. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		8. विभागीय प्रतिवेदनो को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		9. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ ध्यानार्कषण/ निवेदन/ अश्वासन/ आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		10. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए नाम गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		11. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		12. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

10	लघु सिंचाई विभाग।	13 1. कार्यपालक अभियंता इस बैठक में उपस्थित थे। इस लिए उनके द्वारा की गयी वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2.08 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.90 लाख रु० प्रतिवेदित है।	कार्यपालक अभि०, लघु सिंचाई भुआ	26.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत तारों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत तारों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों/ ध्यानाकर्षण/ निवेदन/ अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		6. विभागीय लेखा ससमय महालेखाकार को उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		7. लघु सिंचाई विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाये आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन है। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मागे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

11.	राष्ट्रीय बचत विभाग।	1. कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत विभाग, सासाराम बैठक में उपस्थित हैं। निर्धारित 5000.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन 2284.66 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई है।	कार्य पदा, राष्ट्रीय बचत, सासाराम	26.10.2004
		3. राष्ट्रीय बचत में महिलाओं को अभिकर्ता अभियान चलाकर बनाया जाय।	तथैव	26.10.2004
		4. राष्ट्रीय बचत विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
		5.. 30 अक्टूबर 2004 को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सभी राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं की बैठक होगी जिसमें एक करोड़ से उपर की राशि का व्यवसाय करनेवाले अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जायेगा।	तथैव	30.10.2004
		6. 01.11.04 से 14.11.04 तक विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाना।	तथैव	14.11.2004
		7. श्री मनोज कुमार, सहायक बचत पदा, सासाराम कमूर जिला मुख्यालय में भभुआ में राष्ट्रीय बचत के कार्यों को देखेंगे तथा इनका मुख्यालय भभुआ में रहेगा।	तथैव	26.10.2004
		8. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		9. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		10. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

12	राजकीय नलकूप विभाग	15	1. कार्यपालक अभियंता राजकीय नलकूप श्री मीनहाजूल हक इस बैठक में उपस्थित हैं।	कार्य0अभियंता	26.10.2004
			2. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 8.48 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.17 लाख रुपया है।	तथैव	26.10.2004
			3. राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां के अंतर्गत कार्यरत्त विभिन्न स्तर के अभियंता तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सूची सम्वर्गवार अगली बैठक में प्राप्त की जाय अनुपालन अप्राप्त।	तथैव	26.10.2004
			4. नलकूप विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
			5. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			6. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलारत्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
			7. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
			8. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ध्यानाकषण/निवेदन/अश्वासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			9. विभागीय लेखा ससमय महालेखाकार को उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
			10. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
			11. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004

13	कृषि विभाग	1. निर्धारित 2.25 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 0.88 लाख रु० की हुई है।	जिला कृषि पदा०	26.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आगोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 मा३ के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		4. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		5. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ ध्यानार्कषण/ निवेदन/ अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		6. कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
		7. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		8. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		9. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

14	वन विभाग	1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है। अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है।	अपर समाहर्ता, कैमूर।	26.10.2004
		2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिनिधि रेंज ऑफिसर भुमना ने बताया कि अद्यतन वसूली 1,70,415/- रुपये है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल,	26.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवा लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवा लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दायों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		5. विभागीय प्रतिवेदनों को ससमय विभाग को उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		6. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ ध्यानाकर्षण/ निवेदन/ अस्वास्थ्य/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		3. वन विभाग द्वारा क्या-क्या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		4. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		5. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		6. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

15	मापतौल	निरीक्षक, मापतौल	26.10.2004
	1. निरीक्षक माप-तौल, भभुआ बैटक में उपस्थित हैं। निर्धारित 8.31 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन वसूली 2.20 लाख रू० हुई है। निदेश दिया गया कि वसूली में तीव्रता लावे।	तथैव	26.10.2004
	2. निदेश दिया गया कि रजिस्ट्रारों की टंकित सूची अगली बैटक में समर्पित करें। सूची प्राप्त है। परन्तु यह सूची प्रखण्डवार/व्यवसायवार नहीं है। निदेश दिया गया कि दिनांक 28.09.04 तक हर हाजत में प्रखण्डवार/व्यवसायवार सूची समर्पित करें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।		
	3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
	4. अपने विभाग के संग्रह में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
	6. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

16.	सहकारिता विभाग एवं सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, लि०	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास उपस्थित नहीं हैं। प्रबंध निदेशक, सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम इस बैठक में उपस्थित हैं। निर्धारित 721.97 लाख मांग के विरुद्ध वसूली 66.55 प्रतिवेदित है।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं प्रबंध निदेशक,	26.10.2004
		2. सहकारिता से संबंधित कुल 1200 निलाम पत्र वाद है। न्यायालयवार बैंक शाखावार एवं प्रखण्डवार निलाम पत्र वादों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	तथैव	26.10.2004
		3. माननीय उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवांत लाभों का अद्यतन भुगतान कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		4. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		5. सहकारिता विभाग द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तरदायी पदाधिकारी कौन हैं। उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	तथैव	26.10.2004
		6. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		7. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		8. कार्यालय को साफ-सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004

17.	भूमिविकास बैंक	निर्धारित लक्ष्य 245.40 लाख के विरुद्ध अद्यतन वसूली 28.29 लाख रूपया प्रतिवेदित है।	शाखा विकास बैंक, भुमिआ।	26.10.2004
		2. भूमि विकास बैंक द्वारा क्या-क्या सेवायें आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना।	तथैव	26.10.2004
		3. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मांगे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		4. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		5. कैमूर जिला के बैंकों एवं कार्यालय को साफ सुथरा रखना।	तथैव	26.10.2004
		6. कोई पदाधिकारी उपरिस्थित नहीं है जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकी।	तथैव	26.10.2004

18.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, भुवना वैटक में उपस्थित थे। वसूली अद्यतन 0.13 लाख रुपया है।	कार्य0अभि0पी0 एच0 ई0 डी0.	26.10.2004
		2. माननीय उच्च न्यायालय उादेश का अनुपालन करना एवं सरकारी कर्मियों के सेवाता लाभों का अद्यतन भुगतान का सूची उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 3435 दिनांक 18.09.04 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		3. दिनांक 30.09.04 को 06 माह के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सेवाता लाभों के भुगतान के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु जिलास्तर पर आयोजित आयोजित बैठक में ऐसे कर्मियों की सूची के साथ भाग लेना तथा पूर्व में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबित दवों के भुगतान की स्थिति की सूची प्रस्तुत करना।	तथैव	26.10.2004
		4. लंबित लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों/ ध्यानार्कषण/ निवेदन/ अशवासन/आदि का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देना।	तथैव	26.10.2004
		5. विभागीय लेखा महालेखाकार को ससमय भेजा जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।	तथैव	26.10.2004
		6. विभागीय प्रतिवेदन ससमय विभाग को प्रेषित कर अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाय।	तथैव	26.10.2004
		6. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भागे गये कर्मियों/पदाधिकारियों की सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		7. अपने विभाग के संबंध में प्रमाणपत्र देना कि विभाग में सेवानिवृत्ति का तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। यदि है तो उसकी सूची समर्पित करना।	तथैव	26.10.2004
		8. कार्यालय को साफ सुधरा रखना।	तथैव	26.10.2004

19.	जिला निलाम पत्र	1. जिला निलाम पत्र पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बताया कि 2136.81 रुपये के मांग के विरुद्ध वसूली 36.55 रु0 प्रतिवेदित है।	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	19.10.2004
		3. जिला निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा क्या-क्या सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है उसका समय सीमा का निर्धारण करते हुए Citizen Charter तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना। अनुपालन अप्राप्त है।	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	19.10.21.04

इस बैठक में शेष अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(अनुपालन: अपर समाहर्ता, कैमूर (भम्भुआ)।

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भम्भुआ)

ज्ञाप सं०

1436 11-04/रा० भभुआ, दिनांक 28-10-21

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Majid
21.10.21
समाहर्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भभुआ)।